



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 53 वर्ष 2026

तपेश्वर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: रमेश कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 2010 से जिला सोनभद्र के वन विभाग में दैनिक वेतन श्रेणी चतुर्थ कर्मचारी है तथा वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **सभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य: सिविल अपील संख्या 10956 वर्ष 2018 तथा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुट्टी लाल (2002) खंड 2 यूपीएलबीईसी 1595** के आलोक में, वेतनमान की न्यूनतम राशि, अर्थात् 18,000/- रुपये के भुगतान की मांग करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता का दावा चौथे प्रत्यर्थी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं जीव प्रभाग, पिलिभित द्वारा निश्चित किया जाएगा।
4. बार में प्रस्तुत दलीलों को देखते हुए, रिट याचिका निस्तारित की जाती है तथा रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ चौथे प्रत्यर्थी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग ओबरा, जिला सोनभद्र के समक्ष 30.01.2026 तक प्रस्तुत करे। तत्पश्चात्, चौथे प्रत्यर्थी तीन मास के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख में ग्रहण कर परिशिष्ट ए के रूप में अंकित किया गया।

19.01.2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।